प्रेस विज्ञप्ति
09.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी (लखनऊ जोनल कार्यालय ने13 .09. 2024को कल्पतरु ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ़ धन-शोधन के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत बिपिन सिंह यादव और 29 अन्य व्यक्तियों और कल्पतरु ग्रुप की 20 कंपनियों सहित संस्थाओं के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय) पीएमएलए(, गाजियाबाद ,उत्तर प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत) पीसी (दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने03 .10. 2024को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जयकिशन राणा, उनके सहयोगियों और कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, धन के गबन आदि के विभिन्न मामलों में भा.दं.सं., 1860की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज लगभग 74 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कल्पतरु समूह की कंपनियों और उनके निदेशकों ,एजेंटों और प्रबंधकों ने आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के नाम पर जनता से लगभग 1000 करोड़ रुपये की भारी जमा राशि एकत्र की थी। इस तरह से एकत्र किए गए धन को निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न देने के बजाय निजी संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पैसे की हेराफेरी के जरिए आरोपी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत नाम और संबंधित संस्थाओं में संपत्तियां हासिल कीं और इस मल्टीलेवल मार्केटिंग घोटाले में निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगा।

इससे पहले ,जांच के दौरान ,कृषि भूमि ,कार्यालय परिसर और निर्माणाधीन आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के रूप में83 . 96करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों को ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था और बाद में माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

आगे की जांच जारी है।